आवंटन
अनुदान संख्या–81 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–2515007960102–20

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/96/2014–1/324/2014 लखनऊः दिनांक 2 नवम्बर, 2014

विषयः राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 की स्वीकृत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–81 आयोजनागत मद में आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्यांश मद में रू0 35,900/–की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–2629/33–3–2014–100(24)/2014 दिनांक 10 नवम्बर, 2014 (प्रति संलग्न) व संशोधित शासनादेश संख्या–3151/33–3–2014–100(24)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2014 (प्रति संलग्न) द्वारा राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 की स्वीकृत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–81 आयोजनागत मद में आय–व्ययक में राजस्व मद में प्राविधानित धनराशि रू0–7.25 लाख के सापेक्ष राज्यांश के रूप में रू0–35900/– **(रूपया पैंतीस हजार नौ सौ मात्र)** निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:–

1– राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत प्राविधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेगें कि उक्त योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

3– उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

4– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2014–15 में कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–1–2467/दस–2014–231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–81 "लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–796–जन जातीय क्षेत्र उपयोजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0102–राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (के.75/रा.25के.+रा.)–20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

7– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

8— आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0—4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

9— आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

10— उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

11— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—78 पर अंकित है।

संलग्नः—उक्तानुसार।

भवदीय,

21.11.14

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः1 / शा0 196/31 / 1 / 2014 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद—211001.
3— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4— बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
6— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7— संयुक्त निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
8— तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(महेन्द्र नारायण)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015
आवंटन दिनांक-21/11/2014

प्रेषण संख्या:- 1-sha-96A-2014-1-324-2014
आवंटन आदेश संख्या:- 001-324-2014
अनुदान संख्या:- 81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

796 - जन जातीय क्षेत्र उपयोजना
01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें
02 - राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (के.75/रा.25-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	35900 35900	35900 35900
	योग	वर्तमान प्रगामी	35900 35900	35900 35900

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पैंतीस हजार नौ सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पैंतीस हजार नौ सौ

(महेन्द्र नारायण)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी